उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय 17, महर्षि दयानन्द मार्ग, इलाहाबाद पिन – 211 001



उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद की सम्पन्न विद्या परिषद् की बैठक का कार्यवृत्त

बैठक संख्या : 11

दिनाँक : 05 अक्टूबर, 2006

समय : पूर्वाह्न 11:00 बजे

स्थान : कुलपति कक्ष

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

दिनाँक 05 अक्टूबर, 2006 को पूर्वाह्न 11:00 बजे कुलपति कक्ष में सम्पन्न विद्या परिषद् की बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

(1)	प्रो केदार नाथ सिंह यादव	अध्यक्ष
	कुलपति	
	उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	
(2)	प्रो. आर.सी. यादव	सदस्य
	विज्ञान संकाय,	
	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	
(3)	प्रो. आनन्द मोहन	सदस्य
	इलेक्ट्रानिक्स विभाग, आई.आई.टी.	
	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	
(4)	प्रो. एस.के. पाण्डेय,	सदस्य
	सांख्यिकी विभाग	11414
	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	
(5)	प्रो. जगन्नाथ पाल	सदस्य
	प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति विभाग	11414
	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	
(6)	प्रो. एस.पी. गुप्ता	aran i
	विभागाध्यक्ष, शिक्षाशास्त्र विभाग	सदस्य
	उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	
(7)	डॉ. डी.सी. लाल	
(7)	शारीरिक शिक्षा विभाग	सदस्य
	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	
	रवारावाच वरवावधालय, इलाहाबाद	

सचिव

- (8) डॉ. नागेन्द्र यादवउपाचार्य, व्यवसाय प्रबन्धन विभागउ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
- (9) डॉ. रत्नाकर शुक्ल कुलसचिव उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

निम्नलिखित सदस्य उपस्थित नहीं हो सके :-

- डॉ. संतोष पाण्डा निदेशक, STRIDE इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली
- डॉ. आर.के. चौहान अतिरिक्त सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली – 110002
- डॉ. इफ्तेखार अहमद प्राचार्य शिबली नेशनल पी.जी. कालेज, आजमगढ़

कार्यसूची के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ करने के पूर्व कुलपति जी ने सदस्यों का स्वागत किया तथा नये सदस्य प्रो. आनन्द मोहन एवं डॉ. नागेन्द्र यादव का परिचय कराया।

- 11.01 विद्या परिषद् ने अपनी पिछली बैठक दिनाँक 25 मार्च, 2006 के कार्यवृत्त की पुष्टि की।
- 11.02 विद्या परिषद् की पिछली बैठक दिनाँक 25 मार्च, 2006 में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही से परिषद् अवगत हुई।
- 11.03 विद्या परिषद् ने दिनाँक 26 सितम्बर, 2006 को सम्पन्न मान्यता बोर्ड की संस्तुतियों पर विचार किया।

निश्चयं किया गया कि दिनाँक 26 सितम्बर, 2006 को सम्पन्न मान्यता बोर्ड के बैठक की कार्यवृत्त को स्वीकार करते हुए कार्य परिषद के अनुमोदनार्थ संस्तुत किया जाय। इस अवसर पर प्रो. आनन्द मोहन ने यह सुझाव दिया कि अध्ययन केन्द्र की स्थापना हेतु एक मापदण्ड बनाया जाय जिसके आधार पर अध्ययन केन्द्र संचालन की मान्यता दी जाय।

विद्या परिषद् ने प्रो. आनन्द मोहन के उपरोक्त सुझाव को सर्वसम्मित से स्वीकार करते हुए अध्ययन केन्द्र स्थापना के लिए मानक बनाने के निमित्त आवश्यक कार्यवाही हेतु कुलपित को अधिकृत किया।

11.04 विद्या परिषद् ने दिनाँक 27 सितम्बर, 2006 को सम्पन्न योजना बोर्ड की संस्तुतियों पर विचार किया।

> निश्चय किया गया कि दिनाँक 27 सितम्बर, 2006 को सम्पन्न योजना बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त को स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के अनुमोदनार्थ संस्तुत किया जाय।

11.05 विद्या परिषद् ने शोध उपाधि कार्यक्रम अध्यादेशों के अध्यादेश A(1), B(3) एवं G(1) में प्रस्तावित परिवर्तन/संशोधन पर विचार।

निश्चय किया गया कि शोध उपाधि कार्यक्रम अध्यादेशों के अध्यादेश A(1), B(3) एवं G(1) में परिशिष्ट "क" में उल्लिखित प्रस्तावित परिवर्तन/संशोधनों को स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के अनुमोदनार्थ संस्तुत किया जाय।

11.06 विद्या परिषद् ने स्नातक (विज्ञान) उत्तीर्ण छात्रों के लिए एकल विषय में स्नातक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने पर विचार किया।

विद्या परिषद् अवगत हुई कि अभी तक केवल स्नातक कला उपाधि धारकों के लिए एक विषय में स्नातक पाठ्यक्रम संचालित किया जाता है, परन्तु स्नातक (विज्ञान) उपाधि धारकों को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है।

विद्या परिषद् ने विचारोपरान्त निश्चय किया कि स्नातक (विज्ञान) उपाधि धारकों के लिए भी एक विषय में स्नातक पाठ्यक्रम संचालित किया जाय तथा कार्य परिषद् के अनुमोदन हेतु संस्तुत किया जाय।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद का प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

> ्रेंग्यू कुलसचिव

Draft amendment in Ordinance A (1), B(3) and G (1) of Ordinances governing the Research Degree Programme

 In Ordinance A(1) the word 'D.Phil.' occurring in the second line of the first para be substituted with the words 'Ph.D' and the words "or such other degree" occurring in the second line be deleted.

After above modification the relevant Ordinance be read as under :-

A(1) The Degree of Master of Philosophy (M.Phil.) and the *Degree of Doctor of Philosophy* (*Ph.D.*) may be awarded by the University to a registered student on his/her successfully completing the prescribed programme of research offered by the University.

The change in nomenclature as made above will apply mutatis mutandis in the Ordinances or in the Guidelines or where ever the word 'D.Phil'. occurs.

B(3) In Ordinance B(3), para - 1 Composition of R.D.C. at serial No. (ii) the
words 'of the subject concerned' be added between the words 'experts' and 'who'.
and at serial No. (iv) Three Directors of Schools nominated by the Vice-Chancellor
be substituted with the words 'The Director of the School concerned.'

After the above modifications the relevant Ordinance will read as under :-

- (3) The composition of Research Degree Committee shall be as follows:
 - The Vice-Chancellor shall be the Chairman of the Research Degree Committee.
 - (ii) Two experts of the subject concerned who are not employees of the University, nominated by Vice-Chancellor.
 - (iii) One representative each of the Planning Board and the Academic Council nominated by the Vice-Chancellor.
 - (iv) The Director of the School concerned.
 - (v) Officer Incharge for Research Development and Coordination shall be the Member Secretary of the Research Degree Committee.

3. G(1) The words '3 years' occurring in the second line of para 1 under heading duration be substituted with the words '2 years' and the word "curtailed" occurring in the last line be substituted with the word "reduced"

After modification Ordinance G(1) will read as under :-

The minimum and maximum time for completing the programme shall be 2 years to 4 years for M.Phil. and 2 years to 5 years for Ph.D. respectively, counted from the date of registration to the programme; provided, however, that the period may be reduced or extended with the approval of the Vice-Chancellor.

Explanatory Note

- (1) In order to maintain similarity in nomenclature of Degrees awarded by the University it has been felt necessary that D.Phil. - the existing short name of Doctor of Philosophy should be replaced with Ph.D. which is commonly used in Universities in India. Hence the above amendment has been proposed to be at par with other Universities and to remove confusion among the students.
- (2) In other Universities the R.D.C. is constituted subject wise but the provision regarding composition of the R.D.C. in this University is different. Under the circumstances the existing composition of the R.D.C. needs slight modification. Hence the above modification has been proposed.
- (3) The minimum duration for submission of Ph.D. Thesis is written 2 years in the Guidelines passed by A.C./E.C. whereas in Ordinance No. G(1) the minimum period for submission of Ph.D. Thesis is given 3 years. In other Universities the minimum period is 20 to 24 months. Thus in order to equate the minimum period for submission of Ph.D. Thesis and also to remove the anomaly between the provisions made in the Ordinances and Guidelines, the provision of Ordinance needs to be amended. Hence the above modification in the relevant Ordinance has been proposed.

The matter is placed before the Academic Council for consideration.

Registrar